FAX

संख्याः 9437-58/23(12)–एक/2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, (मा.शि./प्रा.शि.) गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा दिनांक 06 फरवरी, 2015

विषय :– **दीर्घ समय से अनुपस्थित व आकस्मिक/मासिक निरीक्षणों में अपुनस्थित पाये गये शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शैक्षिक गुणवत्ता के दृष्टिगत शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व की भांति निरन्तर विद्यालयों का सघन एवं मासिक निरीक्षण किये जाने हैं। पूर्व में किये गये निरीक्षणों से यह संज्ञान में आया है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति की श्रेणियाँ निम्न्वत हैं :–

1. दीर्घ समय से लगातार अनुपस्थित रहना।
2. बार–बार अनुपस्थित रहना।
3. एक बार सघन/मासिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाया जाना।

दीर्घ समय से लगातार अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों के विरूद्ध महानिदेशालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के कम में अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथासंशोधित 2010 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने, बार–बार अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को निलम्बित करते हुये दीर्घ शास्ति व एक बार अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों के विरूद्ध निलम्बन के उपरान्त नियमानुसार शास्ति की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते रहे हैं, लेकिन उक्तानुसार अनुपालन कार्यवाही अपूर्ण है। पूर्व में किये गये निलम्बन के उपरान्त अब तक आपके स्तर से गई अन्तिम शास्ति की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अन्तिम अवसर देते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में दीर्घ अवधि से अनुपस्थित, लगातार अनुपस्थित व निरीक्षण तिथि को अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों के विरूद्ध अन्तिम शास्ति की कार्यवाही की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 9 फरवरी, 2015 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही एवं आगामी तिथियों में होने वाले निरीक्षणों में उपरोक्त का पालन करना सुनिश्चित करें। मेरे द्वारा स्वंय भी विद्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा। अतः यदि किसी स्तर पर कार्यवाही में विलम्ब किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. : 9437-58 /23(12)–एक /2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
3. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड